

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- पवई

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.06.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की पुत्री को अभियुक्त सूर्यभान बिन्द पुत्र फेकू बिन्द निवासी ग्राम सधनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 241/24 धारा 363,366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यभान पुत्र फेकू बिन्द निवासी ग्राम सधनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मिल्कीपुर अण्डरपास से समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सूर्यभान बिन्द पुत्र फेकू बिन्द निवासी ग्राम सधनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 241/2024 धारा 363/366 भादवि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 रजनीश शुक्ला थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि वादिनी की लड़की शौच गयी थी कि रास्ते में अभियुक्त सूरज पुत्र सुदर्शन निवासी ग्रा0 सोनापुर थाना जहानागंज ने वादिनी की लड़की के साथ दुष्कर्म किया जिसको गांव के लोगो ने पकड़ लिया परन्तु अभियुक्त मौका पाकर भाग गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 337/24 धारा 376 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना अ0नि0 सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र दुबे मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र सुदर्शन राम निवासी सोनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ कही भागने की फिराक में शुम्भी नहर पुलिया पर मौजूद है। इस सूचना पर नि0अ0 सुरेन्द्र दुबे मय हमराह ने अभियुक्त सूरज को शुम्भी नहर पुलिया से समय करीब 09.20 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 337/24 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- सूरज पुत्र सुदर्शन राम निवासी सोनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम- नि0अ0 सुरेन्द्र कुमार दूबे, हे0का0 सुभाष चन्द्र थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना अहरौला

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 25.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त पंकज राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी ग्राम टिकुरिया माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बहला फुसला कर भगा ले गया तथा वादिनी द्वारा अभियुक्त के घर वालो से पूछने पर भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए मारे पीटे जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 310/2024 धारा 363/366/504/506 भादवि0 बनाम 1. पंकज राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर 2.रविन्द्र राजभर पुत्र अज्ञात 3. व परिवार के अन्य लोग समस्त निवासी टिकुरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को रि0 उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी ग्राम टिकुरिया माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को कोर्दाघाटमपुर मोड़ तिराहा से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान नियमानुसार मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- पंकज राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी ग्राम टिकुरिया माहुल थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- रि0उ0नि0 रंजन कुमार साव, हे0का0 दिनेश यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
महिला के साथ दुष्कर्म कर मारने पीटने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 19.10.2018 को अभियुक्त चन्दन गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता, मोहल्ला हरिऔध नगर कलोनी, जिला आजमगढ़ वादिनी से मिला और उससे शादी करने के लिए कहा तथा वादिनी को बहला फुसलाकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया। जिससे वादिनी को पुत्री पैदा हुई। वादिनी ने बच्चों के लिये भरण पोषण व दवा इलाज का खर्च मांगा तो अभियुक्त ने माँ बहन की गालियां देता हुए मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 388/24 धारा 376/323/504/506 ipc व 3 /4 posco act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता, मोहल्ला हरिऔध नगर कलोनी, जिला आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को रोडवेज बस स्टैण्ड गेट से नियमानुसार समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्दन गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता, मोहल्ला हरिऔध नगर कलोनी, जिला आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 388/24 धारा 376/323/504/506 ipc व 3 /4 posco act थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 हीरालाल थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

दुष्कर्म कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 31.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त कुँवर सतेन्द्र सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ ने वादिनी को काम दिलाने का प्रलोभन देकर फोन पर बातचीत किया तथा बाद इंटरव्यू के बहाने वादिनी को अपने घर पर बुलाकर वादिनी को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 02 वर्षों तक वादिनी के साथ दुष्कर्म किया तथा बाद में वादिनी का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 157/2024 धारा 376/506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67 IT ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 30.06.2024 को प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इस समय अपनी बहन के घर ग्राम मंझगवां पर मौजूद है। इस सूचना पर प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त कुँवर सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रघुराज सिंह निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष को उसकी बहन के घर ग्राम मंझगवां से समय करीब 20.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- कुँवर सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रघुराज सिंह निवासी ग्राम लक्षिरामपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 157/2024 धारा धारा 376/506 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट व 67 IT ACT थाना कन्धरापुर।

बरामदगी- 01 मोबाइल फोन VIVO कम्पनी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 सुदेश कुमार सिंह, व0 उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 जावेद अख्तर, हे0का0 भानु प्रताप यादव, हे0का0 गोरखनाथ यादव, हे0का0 सुनील कुमार मौर्य, का0 अखिलेश कुमार, का0 सोनू कुमार, का0 आकाश गोड़, म0का0 पूनम सिंह, म0आ0 सरिता यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.06.24 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान खरेवां मोड़ पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि 01 व्यक्ति पूनापोखर क्रासिंग के पास अवैध तमन्चा के साथ खड़ा है, जो कही भागने की फिराक मे है। इस सूचना पर उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा पूनापोखर क्रासिंग से अभियुक्त सोनू पुत्र रामचरण ग्राम ठोठिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को 01 तमन्चा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 22.38 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 373/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सोनू पुत्र रामचरण निवासी ठोठिया थाना मेहनगर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 373/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमन्चा 0.315 बोर, 01 जिन्दा कार0 0.315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	186/23	4/25 शस्त्र अधि0	सरायमीर	आजमगढ़
2	211/23	379/411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
3	373/24	3/25 आयुध अधि	सरायमीर	आजमगढ़
4	51/23	457/380/411/427 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
5	148/23	3/25 शस्त्र अधि0	गम्भीरपुर	आजमगढ़
6	23/23	379/411 भादवि	जीआरपी	जौनपुर
7	33/23	411/413 भादवि	जीआरपी	अयोध्या
8	001/24	379/411 भादवि	जीआरपी	जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह, का0 श्रेष्ठ यादव, थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना फूलपुर
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29-06-2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी मनरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर 8 वर्षों तक दुष्कर्म किया तथा वादिनी के पैसे-जेवर ले लिये तथा वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर अभियुक्त ने वादिनी को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-370/2024 धारा 376/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.07.2024 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र सूबेदार यादव सा0 मनरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को मनरा कुटी के पास से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- दिनेश यादव पुत्र सूबेदार यादव सा0 मनरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-370/2024 धारा 376/504/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, का0 अरबिन्द तिवारी, का0 वीरेन्द्र कुमार यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
गैर इरादतन हत्या में वांछित 08 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 29.06.24 को वादी वीरेन्द्र गौतम पुत्र साहबलाल ग्राम कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 29.06.2024 को समय रात्रि करीब 09 बजे में तथा मेरे परिवार के छोटेलाल पुत्र दुबरी, पारसनाथ पुत्र साहबलाल, शशिदेवल पुत्र पारस नाथ दरवाजे पर सोये थे तथा घर पर मेरी माँ कवलपत्नी पत्नी साहबलाल मेरी भतीजी विशाखा पुत्री पारस नाथ , मेरी पत्नी रीता देवी घर में सोई हुई थी कि मेरे ही गांव राधेश्याम पुत्र लौटन से घर व बरजे का पूर्व में विवाद चल रहा था,उसी रंजिश को लेकर अरबिन्द पुत्र राधेश्याम,राधेश्याम पुत्र लौटन ,अजय पुत्र राधेश्याम , विनय पुत्र राधेश्याम, अविनाश पुत्र राधेश्याम, व रोबिन पुत्र रमाशंकर , रमाशंकर पुत्र लौटन, अनिकेत पुत्र रमाशंकर, अभिषेक पुत्र रमाशंकर,आरती पुत्री राधेश्याम , रंजना पुत्री रमाशंकर ,रीता देवी पत्नी रमाशंकर ,सावित्री पत्नी राधेश्याम समस्त निवासी कटघर जलाल थाना सरायमीर,आजमगढ़ एक राय होकर अपने हाथों में लाठी,डण्डा व राड लिए हुए एकाएक मेरे दरवाजे पर चढ़कर मुझे तथा मेरे पिता व भाई को मारने लगे तो हम लोग भाई पारसनाथ ,भतीजा, शशिदेवल घर में भागे कि उपरोक्त लोग घर में घुसकर लाठी डण्डे व राड से मारने लगे, जिससे मेरी माँ कवल पटी पत्नी साहब लाल मौके पर गिरकर बेहोश हो गयी तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मेरे भाई ,भतीजी को गम्भीर चोटें आयी है मेरे परिवार के अन्य लोग घायल हो गये तथा उपरोक्त लोग गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए चले गये, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 372/2024 धारा 323.504.506.452.308.34 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 01.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. राधेश्याम पुत्र स्व0 लौटन, 2. अजय पुत्र राधेश्याम, 3. अविनाश पुत्र राधेश्याम, 4. अभिषेक पुत्र रमाशंकर निवासीगण कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को नन्दाव बाजार तिराहे के पास से समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की राड व 01 लकड़ी के बेत को बरामद किया गया।

पुनः उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता क्रमशः1. आरती पुत्री राधेश्याम , 2. रंजना पुत्री रमाशंकर, 3. रीता देवी पत्नी रमाशंकर, 4. सावित्री देवी पत्नी राधेश्याम निवासीगण कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को नन्दाव गैस एजेंसी के पास से समय करीब 11.35 बजे दिनांक 01.07.24 को नन्दाव गैस एजेंसी के पास हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 372/2024 धारा 323.504.506.452.308.34 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 304 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 163/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1.राधेश्याम पुत्र स्व0 लौटन
2. अजय पुत्र राधेश्याम (बरामदगी लोहे की पाईप)
3. अविनाश(अभिनेश) पुत्र राधेश्याम
4. अभिषेक पुत्र रमाशंकर (बरामदगी लकड़ी का बेत)
- 5.आरती पुत्री राधेश्याम
6. रंजना पुत्री रमाशंकर
7. रीता देवी पत्नी रमाशंकर
8. सावित्री देवी पत्नी राधेश्याम निवासीगण कटघर जलाल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
बरामदगी-

1- एक लोहे की पाईप

2- एक अदद लकड़ी का बेत

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर आजमगढ़
2. उ0नि0 मुन्नालाल, थाना सरायमीर आजमगढ़
3. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
4. उ0नि0 धीरज कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
5. हे0का0 संजय कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
6. का0 अजीत तोमर का0 चन्दन कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
7. थाना सरायमीर आजमगढ़
8. म0का0 संजू सिंह का0 अजीत यादव का0 शशिकान्त तिवारी थाना सरायमीर आजमगढ़
9. का0 उपेन्द्र यादव म0का0 ममता सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़